फॉर्म-II

Form II

(THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966 - Paragraph 33)
RETURN OF OWNERSHIP TO BE SENT TO THE COMMISSIONER
(नाविक भविष्य निधि योजना, 1966- पैराग्राफ- 33)
आयुक्त को भेजे जाने के लिए स्वामित्व का विवरण

1. नियोक्ता का नाम: ----------
Name of the Employer

2. मालिक/ अभिकर्ता / निदेशक/ भागीदार /प्रबन्धक आदि का नाम: ----------
Name of the Owner/Agent/Director/Partner/Manager etc. ----------

3. डाक का पता: ----------
Postal Address: ----------

4. प्रबन्ध अभिकर्ता का नाम(यदि कोई हो, डाक पते के साथ) : ----------
Name of the Managing Agent(if any together with ----------
Postal address):

5. डाक पते के साथ निदेशक का नाम: ----------
Name of Directors with postal address: ----------

6. डाक पते के साथ भागीदार का नाम: ----------
Name of Partners with postal address: ----------

7. डाक पते के साथ प्रबन्ध का नाम: ----------
Name of Manager with postal address: ----------

8. नियोक्ता के कार्य को संचालित करने के लिए प्रभारी: ----------
और जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते । ----------
Name and postal address(es) of person(s) in charge of ----------
and responsible for the conduct of business of the Employer:----------

9. फोन नंबर और ई-मेल का पता: ----------
Contact No. and Email ID: ----------
(Individual and Company's)

नियोक्ता के हस्ताक्षर

दिनांक/Date: पदनाम / मोहर

Signature of the Employer
Designation/Stamp.

नोट/Note: 1) जो लागू न हो काट दें।
Strike out whichever is not applicable.
2) ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन है तो 15 दिन के भीतर आयुक्त को लिखित में सूचित करें, ऐसे परिवर्तनों की सूचना आयुक्त द्वारा नियत किए गए प्रकार और पंजीकृत डाक से दी जाए ।
Any change in the information given above should be intimated in writing to the Commissioner within 15 days of such change by Registered post and in the manner prescribed by the Commissioner.

फॉर्म-II के साथ संलग्न किए जानेवाली स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ/अनुबंध निम्नानुसार हैं:-
Attachments / Self Attested True Copies to be enclosed with the Form II are as under:
1. संघों के लेखों का ज्ञापन ।
Memorandum or Article of Associations.
2. कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत निगमन प्रमाणपत्र ।
Certificate of Incorporation register with Registrar of Companies.
3. महानिदेशक नौवहन द्वारा जारी किया गया (आर.पी.एस.एल.) लाइसेन्स ।
Licenses (RPSL) issued by Directorate General of Shipping.
4. आयकर विभाग के साथ कंपनी टेन (TAN) पंजीकरण ।
Registration of TAN of Company with Income Tax Department.
5. निदेशक का आयकर पेन (PAN) नंबर ।
Income Tax Pan Number of Director.

नोट/Note:- 1) जो लागू न हो काट दें ।
Strike out whichever is not applicable.
2) ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन है तो स्वप्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ या तो पंजीकृत डाक से या ई-मेल द्वारा 15 दिन के भीतर लिखित में सूचित किया जाय।
Any change in the above information should be intimated in writing within 15 days either by E-mail or by Registered post with Self Attested documentary evidence.